क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

270
जनवरी
2002

बैंकिंग परिचालन

25,000 रुपये तक के ऋणों के लिए एक बार में निपटान

रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों को सूचित किया है कि वे 25,000 रुपये तक के ऋणों पर बकाया देयराशियों की वसूली के लिए उपयुक्त नीति बनायें। उक्त नीति निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बनायी जाये :

(i) *व्याप्ति*

(क) योजना में 25,000 रुपये तक के बकाया मूलधन वाले (ब्याज को छोड़कर) वे सभी ऋण खाते शामिल होंगे, जो 31 मार्च 1998 को अनर्जक आस्ति बन गये हों ।

(ख) दिशा-निर्देशों में वे ऋण भी शामिल होंगे जिनके बारे में मुकदमा दायर किया गया है या डिगरी हो गयी है। निपटान हो जाने के बाद बैंक संबंधित न्यायालयों में मुकदमा बंद करने के लिए उपयुक्त उपाय करें।

(ग) परन्तु योजना में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जान-बूझकर चूक के मामले शामिल नहीं होंगे।

(घ) ये दिशा-निर्देश 30 जून 2002 तक प्रचलन में रहेंगे।

(ii) *निपटान का फार्मूला - राशि और निर्दिष्ट तारीख*

इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निपटान के रूप में वसूल की गयी राशि 31 मार्च 1998 को ऋण खाते में बकाया मूलधन की शेष राशि होगी। 31 मार्च 1998 को बकाया राशि में जो भी ब्याज शामिल होगा या 31 मार्च 1998 के बाद बकाया पर जो ब्याज बनेगा उसे छोड़ दिया जायेगा।

(iii) *भुगतान*

उपर्युक्त के अनुसार किये गये निपटान की राशि सामान्यतः एकमुश्त अदा की जानी चाहिए। उपयुक्त मामलों में बैंक निपटान की राशि की वसूली किस्तों में करने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें निपटान के समय कम से कम 25 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान होगा। शेष राशि निपटान की तारीख से एक वर्ष में वसूल की जानी चाहिए।

(iv) *मंजूर करने वाला प्राधिकारी*

समझौते से निपटान के बारे में निर्णय का अधिकार शाखा प्रबंधक को होगा। जिस मामले में शाखा प्रबंधक ने स्वयं ही ऋण मंजूर किया हो उस मामले में समझौते द्वारा निपटान का निर्णय उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

(v) *भेदभाव रहित व्यवहार*

बैंक अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को बिना किसी भेदभाव के अपनायेंगे।

(vi) *नीति-निर्माण*

दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए नीति बैंक के निदेशक मंडल को बनानी चाहिए। बैंक बकाया राशि के बारे में अपनी लेखाकरण की क्रियाविधि बना सकते हैं, जो एक बार में निपटान की शर्त पर होगी।

(vii) *प्रचार*

बैंकों को योजना का पर्याप्त प्रचार करना चाहिए, ताकि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार बकाया राशियों के एक बार में निपटान की योजना का अवसर, चूक करने वाले सभी पात्र ऋणकर्ताओं को मिल सके।

(viii) *निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा*

निपटान में हुई प्रगति और उसके ब्यौरे के बारे में मासिक रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने से उच्चतर प्राधिकारी को तथा प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करनी चाहिए। समझौते द्वारा किये गये निपटान की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा हर महीने की जायेगी।

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग परिचालन

- 25,000 रुपये तक के ऋणों के लिए एक बार में निपटान 1
- ऋण जोखिम संबंधी सीमाएं 2
- मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंक वित्त 2
- यूएस 64 में बैंकों का निवेश 2
- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश 2
- निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आइएफआर) पर दिशानिर्देश 2

विदेशी मुद्रा

- मुद्रा परिवर्तन सुविधाएं उदारीकृत 3
- विदेशी कंपनी निकायों के लिए संविभाग निवेश योजना नहीं 3
- पासपोर्ट पृष्ठांकन 4
- कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत शेयरों का अधिग्रहण 4
- यूरो मुद्रा 4
- प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों को निर्यात ऋण कृषि निर्यात क्षेत्र 4
- वायदा करार 4

ऋण जोखिम संबंधी सीमाएं

यह निर्णय किया गया कि तुलन-पत्र के प्रकाशन की तारीख के बाद देशी निर्गम या विदेश में निर्गम के माध्यम से पूंजी की वृद्धि को ऋण आदि जोखिम संबंधी उच्चतम सीमायें निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जायेगा। बैंकों को, की गयी बढ़ोतरी की गणना करने के पहले पूंजी को पूरा करने के संबंध में रिज़र्व बैंक को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

इससे पहले यह उल्लेख किया गया था कि ऋण आदि जोखिम (एक्सपोज़र) की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए पूंजीगत निधियों में पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के प्रकाशित लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी और मुक्त प्रारक्षित निधियां शामिल होंगी। ऋण आदि जोखिम संबंधी मानदंडों पर रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार पूंजीगत निधियों की संकल्पना को व्यापक बनाया गया है, ताकि 31 मार्च 2002 से लागू पूंजी पर्याप्तता मानकों (स्तर 1 और 2 की पूंजी) के अंतर्गत परिभाषित कुल पूंजी को शामिल किया जा सके।

रिज़र्व बैंक को बैंकों से इस बात के अभिवेदन प्राप्त हो रहे थे कि पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधियों की गणना करने से ऋण आदि जोखिम संबंधी उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए तुलन-पत्र की तारीख के बाद जुटायी गयी पूंजी/दीर्घावधि संसाधनों के लाभ उन्हें नहीं मिल पाते।

बैंकों को इससे पूर्व सूचित किया गया था कि तिमाही लाभों आदि के रूप में पूंजीगत निधियों में होने वाली अन्य अनुवृद्धि, ऋण आदि जोखिम संबंधी उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए गणना हेतु पात्र नहीं होगी। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भावी तारीख को पूंजी की वृद्धि की प्रत्याशा में निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक ऋण आदि जोखिम नहीं लेते।

मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंक वित्त

यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्त प्रदान करने की योजना अगली सूचना तक जारी रखी जाये। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बैंक का निदेशक मंडल मार्जिन ट्रेडिंग के लिए ऋण देने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश बनाये, जो निम्नलिखित मानदंडों के अधीन हों :

(i) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दिया गया वित्त पूंजी बाज़ार को ऋण आदि जोखिम के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर हो।

(ii) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दी गयी निधियों पर कम से कम 40 प्रतिशत का मार्जिन रखा जाना चाहिए।

(iii) मार्जिन ट्रेडिंग से खरीदे गये शेयर अभौतिक रूप में और ऋण देने वाले बैंक को बंधक होने चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे 40 प्रतिशत का मार्जिन सतत आधार पर बनाये रखने और उसकी निगरानी के लिए एक उचित प्रणाली बनायें।

(iv) बैंक के निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए कि मार्जिन ट्रेडिंग के संबंध में अंत: संबद्ध स्टॉक की दलाली करने वालों/शेयर दलालों और बैंक के बीच कोई दुरभिसंधि न बनने पाये। मार्जिन ट्रेडिंग का फैलाव उचित संख्या में दलालों और स्टॉक की दलाली करने वालों के बीच होना चाहिए।

मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्त के द्वारा बैंक के ऋण आदि जोखिम पर आवधिक निगरानी निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को रखनी चाहिए और उपर्युक्त मानदंडों के अधीन बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाना चाहिए। मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दिये गये कुल वित्त को बैंकों को अपने तुलन-पत्र में लेखा संबंधी टिप्पणियों में प्रकट करना चाहिए।

मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्त के बारे में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति की प्रति रिज़र्व बैंक को यथासमय भेजी जानी चाहिए।

रिज़र्व बैंक द्वारा 22 सितंबर 2001 को जारी किये गये दिशा-निर्देश तब तक जारी रहेंगे जब तक इस परिपत्र के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नये दिशा-निर्देश जारी नहीं किये जाते।

इससे पूर्व बैंकों को प्रायोगिक आधार पर यह अनुमति दी गयी थी कि वे पूंजी बाज़ार को बैंकों के ऋण आदि जोखिम के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर शेयर दलालों को 60 दिन की अवधि (अर्थात् 22 नवंबर 2001 तक) के लिए वित्त प्रदान कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने दिशा-निर्देशों की समीक्षा बड़े वाणिज्य बैंकों के साथ परामर्श करके की है।

यूएस 64 में बैंकों का निवेश

यह निर्णय लिया गया है कि जो बैंक भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूएस-64 योजना के यूनिटों में किये गये निवेशों का अंतरण परिपक्वता के लिए रखे गये निवेशों की श्रेणी (एचटीएम) में बही मूल्य पर करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए। यह अंतरण एक बार उठाये गये कदम के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन करने की अनुमति दी जाएगी:

(क) बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे अंकित मूल्य पर 31 मई 2003 तक प्रीमियम का परिशोधन करें।

(ख) बैंकों को किसी भी कारण से इन यूनिटों को आंशिक या पूरे रूप से एचटीएम श्रेणी से बाहर अंतरित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

यह निर्णय, भारत सरकार के इस निर्णय कि यूएस 64 यूनिट 31 मई 2003 को, 10.00 रुपये या उस तारीख का निवल संपत्ति मूल्य, जो भी उच्चतर हो, पर पुन:शोधित किये जा सकते हैं, के परिप्रेक्ष्य में लिया गया।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि डिबेंचरों, बांडों, शेयरों आदि में अभिदान करने का कोई निवेश संबंधी निर्णय लेते समय पूरी सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करने के लिए 'चूककर्ता सूचियां' देखें कि निवेश ऐसी कंपनियों/संस्थाओं में नहीं किये जा रहे हैं जिन्होंने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के संबंध में चूक की है।

इससे पूर्व बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित था कि वे, निर्दिष्ट आवर्तन पर, कुल एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशियों के (निधिक और गैर-निधिक दोनों) उन कर्जदारों के ब्यौरे रिज़र्व बैंक को सूचित करें, जिन्हें संदिग्ध या हानि वाली राशियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा जिन कर्जदारों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये हैं। साथ ही, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षित था कि वे 25 लाख रुपये और उससे अधिक के जानबूझ कर की गयी चूक के मामलों की तिमाही आधार पर रिपोर्ट करें ।

यह देखा गया था कि कुछ बैंक/वित्तीय संस्थाएं कंपनियों के बांडों, डिबेंचरों आदि में निवेश करते समय ऊपर उल्लिखित चूककर्ताओं की सूचियों को देखकर पूरा एहतियात नहीं बरत रही थीं ।

निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आइएफआर) पर दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आइएफआर) बनाने के बारे में बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

(i) बैंकों को चाहिए कि वे प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री पर वसूल किये गये लाभों की अधिकतम राशि को निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते (आइएफआर) में अंतरित करें।

(ii) लक्ष्य यह होना चाहिए कि निवेश की बिक्री पर वसूल किये हुए लाभों को अंतरित करके पोर्टफोलिओ के न्यूनतम 5.00 प्रतिशत का आइएफआर पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त कर लिया जाये। अलबत्ता, बैंकों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने निदेशक मंडल की सहमति से अपने पोर्टफोलियो के आकार और गठन के अनुसार 10.00 प्रतिशत तक का आइएफआर का उच्चतम प्रतिशत बना सकते हैं।

(iii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के मूल्यांकन पर वसूल न किये गये लाभ आय खाते में अथवा आइएफआर में नहीं लिये जाने हैं।

(iv) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत रखी अलग-अलग लिखतें कम-से-कम तिमाही अंतराल पर मार्केट को मार्क की जाने चाहिए।

(v) आइएफ़आर, जिसके अंतर्गत निवेशों की बिक्री से प्राप्त वसूल किये गये लाभ होंगे, पहले की तरह, टियर 2 पूंजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र होंगे।

(vi) बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज दरों के परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करें। बैंक चाहें तो ब्याज दर जोखिम की माप के लिए वैल्यू एट रिस्क एण्ड ड्यूरेशन मेथड्स अपनाने के लिए भी यथोचित कार्रवाई कर सकते हैं।

(vii) बैंकों को इस बात की अनुमति होगी कि वे आइएफ़आर में से शेष राशियां लाभ-हानि खाते में अंतरित करें ताकि वे, पहले की तरह, गिनी न गयी मद (बिलो द लाइन आइटम) के रूप में निवेश पर मूल्यह्रास अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।

विदेशी मुद्रा

मुद्रा परिवर्तन सुविधाएं उदार बनायी गयीं

रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नयी योजना के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को विदेशी करेंसी नोटों, सिक्कों या यात्री चैकों के रुपये में परिवर्तन का कारोबार करने के लिए एजेंसी/विशेष विक्रय अधिकार के करार करने हेतु स्वतंत्रता दी गयी है। यह कारोबार करने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को रिज़र्व बैंक से केवल एक बार अनुमोदन प्राप्त करना होगा। नयी योजना के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

लक्ष्य : योजना का लक्ष्य यह है कि देश में मुद्रा परिवर्तन सुविधाओं के संजाल का दायरा और बढ़ाकर यात्रियों तथा पर्यटकों और साथ ही, अनिवासी भारतीयों को सहज और सुगम परिवर्तन सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। यह अपेक्षा की जाती है कि नयी सुविधा में बैंक तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक सभी पर्यटन केन्द्रों पर तथा प्रमुख शहरों में ज्यादा घंटों तक तथा छुट्टी के दिनों में भी इस तरह की सुविधाएँ देने की स्थिति में आ जायेंगे।

इससे पूर्व, विदेशी मुद्रा नोटों, सिक्कों तथा यात्री चेकों का रुपये में परिवर्तन प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में नामित बैंकों और दो अन्य चैनलों, उदाहरण के लिए संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों तथा प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों के माध्यम से किया जाता था। सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने, दोनों की अनुमति थी जबकि प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक रुपये में केवल विदेशी मुद्रा खरीद सकते थे। प्राधिकृत व्यापारियों, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों तथा प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों को मुद्रा परिवर्तन कारोबार के लिए रिज़र्व बैंक से प्राधिकार लेने की आवश्यकता पड़ती थी।

प्रस्तावित योजना : नयी योजना के अंतर्गत मौजूदा सुविधाओं के अलावा रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को इस बात की निर्बाध अनुमति देगा कि वे प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तन कारोबार अर्थात् विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के अथवा यात्री चेकों को रुपये में बदलने का कार्य करने के प्रयोजन से अपनी पसंद की एजेंसी के साथ/इकाइयों के साथ एजेंसी विशेष विक्रय अधिकार करार (फ्रैंचाइसी) कर सकते हैं।

विशेष विक्रय अधिकारी (फ्रैंचाइसी) : विशेष विक्रय अधिकारी ऐसी इकाई हो सकती है जिसके पास कारोबार का स्थान है तथा जिसकी वास्तविक हैसियत प्राधिकृत व्यापारी/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक को स्वीकार्य है। ये फ्रैंचाइसी केवल प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तन का कार्य ही करेंगे।

एजेंसी/ फ्रैंचाइसी करार : प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे फ्रैंचाइसी के साथ व्यवस्थाओं की कालावधि और साथ ही कमीशन अथवा शुल्क आदि, आपसी सहमति से तय कर लें। अलबत्ता, उनके द्वारा किये जाने वाले एजेंसी/ फ्रैंचाइसी करार में निम्नलिखित खास-खास बातें शामिल होनी चाहियें:

(क) फ्रैंचाइसी परिवर्तन दरें प्रदर्शित करे। रुपये में विदेशी मुद्रा की परिवर्तन दरें, प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक द्वारा उनकी शाखाओं में वसूल की जाने वाली दैनिक परिवर्तन दरों के अनुरूप या उनके निकटतम होनी चाहिये।

(ख) फ्रैंचाइसी को चाहिए कि वह फ्रैंचाइज़र या अन्य अधिकृत व्यक्तियों को, जैसा कि करार किया गया हो, 7 दिन के भीतर वसूली की राशि सुपुर्द करे।

(ग) फ्रैंचाइसी को लेनदेनों का उचित अभिलेख रखना चाहिए।

(घ) प्राधिकृत व्यापारी/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक वर्ष में कम से कम एक बार फ्रैंचाइसी के अभिलेखों और परिसरों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करें।

आवेदन के लिए क्रियाविधि : फ्रैंचाइज़र- अर्थात् प्राधिकृत व्यापारी या संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक इस योजना के अंतर्गत व्यवस्थाएँ करने के लिए रिज़र्व बैंक को निर्धारित फार्मेट में आवेदन करें। आवेदन के साथ इस तरह का एक घोषणापत्र होना चाहिए कि फ्रैंचाइसी का चयन करते समय यथोचित परिश्रम किया गया है । और इन कंपनियों ने फ्रैंचाइसी करार के सभी प्रावधानों/मुद्रा परिवर्तन के संबंध में रिज़र्व बैंक के मौजूदा विनियमनों के अनुपालन की जिम्मेवारी स्वीकार की है। रिज़र्व बैंक एक बार आधार पर अनुमोदन जारी करेगा। उसके बाद जब कभी नयी एजेंसी/फ्रैंचाइसी करार किये जायेंगे, तब कार्योत्तर आधार पर घोषणापत्र के साथ उनकी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को की जानी चाहिए।

मौजूदा प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक : मौजूदा प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिये गये हैं, वे रिज़र्व बैंक का मौजूदा लाइसेंस वापिस करके इस योजना के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के फ्रैंचाइसी के रूप में मुद्रा परिवर्तन का काम कर सकते हैं। जो इस योजना के अंतर्गत परिचालन के लिए विकल्प नहीं देते, वे अगली सूचना तक मौजूदा मुद्रा परिवर्तन कारोबार जारी रख सकते हैं।

केन्द्रों का चयन और प्रशिक्षण : फ्रैंचाइज़र योजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी केंद्र का चयन कर सकते हैं। फ्रैंचाइज़र को चाहिए कि वे एजेंटों/ फ्रैंचाइसी को परिचालन और अभिलेखों के रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण दें। रिज़र्व बैंक भी इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए आपसी सुविधा के अधीन सहायता देना चाहेगा।

रिपोर्टिंग और निरीक्षण : फ्रैंचाइज़र एक आसान फार्मेट निर्धारित करें, जिसमें फ्रैंचाइसी उन्हें नियमित आधार पर - अधिमानत: - मासिक अंतरालों पर लेनदेनों के संबंध में रिपोर्ट करें। साथ ही फ्रैंचाइसी की लेखा बहियों का वार्षिक निरीक्षण भी किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फ्रैंचाइसी मुद्रा परिवर्तन कारोबार करार/रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं और आवश्यक अभिलेख रखे जा रहे हैं ।

विदेशी कंपनी निकायों के लिए संविभाग निवेश योजना नहीं

यह निर्णय लिया गया कि भारत में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी कंपनी निकायों को निवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जिन विदेशी कंपनी निकायों ने पहले ही संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश कर लिये हैं वे स्टॉक बाज़ार में इस तरह के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की बिक्री होने तक उन्हें अपने पास बनाये रख सकते हैं।

प्राधिकृत व्यापारियों के संपर्क कार्यालय विदेशी कंपनी निकायों द्वारा किये गये बिक्री लेनदेनों संबंधी रिपोर्ट, पहले की तरह दैनिक आधार पर देना जारी रखेंगे। आगे, यह स्पष्ट किया गया कि विदेशी कंपनी निकाय पहले की तरह अनिवासी खाते खोलने और उनके अनुरक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे। विदेशी कंपनी निकाय, रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे निवेश के लिए भी पात्र बने रहेंगे।

प्राधिकृत व्यापारी जानते हैं कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या उसे जारी करना) अधिनियम, 2000 की अनुसूची 3 के अनुसार, अनिवासी भारतीय और विदेशी कंपनी निकाय, संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा के माध्यम से, भारत के शेयर बाजार में भारतीय कंपनियों के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद/बिक्री के लिए पात्र हैं।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2001
29 तथा 30 जनवरी 2002 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

पासपोर्ट पृष्ठांकन

क्रियाविधि को और सरल बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को, पर्यटन के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए पासपोर्ट पृष्ठांकित करने की ज़रूरत नहीं है। तदनुसार, कैलेण्डर वर्ष के दौरान ली गयी विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में यात्री द्वारा दी गयी घोषणा के आधार पर प्राथमिक व्यापारी, पर्यटन तथा निजी प्रयोजनों के लिए यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। अलबत्ता, यात्री यदि अपने रिकार्ड के लिए ऐसा करना ज़रूरी समझते हैं तो उन्हें यह विकल्प है कि वे अपने पासपोर्ट पर पृष्ठांकन करवा सकते हैं।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत शेयरों का अधिग्रहण

प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति है कि वे कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत प्रस्तुत विदेशी कंपनी के शेयरों की खरीद के लिए, विदेशी कंपनी अथवा किसी ऐसी कंपनी जिसमें विदेशी कंपनी की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है, की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों या शाखा कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा विदेशी मुद्रा के प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। इस तरह के प्रेषणों की अनुमति है बशर्ते कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं और निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर होते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत शेयरों के अधिग्रहण के लिए इस तरह के प्रेषण की अनुमति दी जायेगी भले ही रियायत विदेशी कंपनी, उसके पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी अथवा भारत में कार्यालय अथवा ऐसी कंपनी द्वारा वहन की जा रही हो जिसकी विदेशी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है।

यूरो मुद्रा

पहली जनवरी 2002 को यूरोपियन यूनियन के 12 सदस्य देशों में यूरो बैंक नोट तथा सिक्के प्रचलन में डाल दिये गये तथा सदस्य देशों द्वारा निर्धारित इस समय-सूची के अनुसार परंपरा से चली आ रही 12 मुद्राएं, विधिमान्य मुद्राएं नहीं रहीं।

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों तथा पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को सूचित किया है कि वे अपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाली शाखाओं, खास तौर पर हवाई अड्डों तथा पर्यटन केंद्रों पर स्थित शाखाओं में तत्काल प्रभाव से, यात्री चेकों के लिए और पहली जनवरी 2002 से करेंसी नोटों के लिए यूरो परिवर्तन दरें प्रदर्शित करें। रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक व्यापारियों तथा पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को यह भी सूचित किया है कि यूरो बैंक नोटों तथा सिक्कों की शुरुआत होने पर वे निवासियों की परंपरा से प्रचलित मुद्राओं को यूरो में बदलें।

वर्तमान में, भारत के किसी निवासी व्यक्ति को कुल मिलाकर 2000 अमेरीकी डॉलर अथवा उसके बराबर राशि के विदेशी मुद्रा नोट, बैंक नोट तथा विदेशी मुद्रा यात्री चेक रखने की अनुमति है। तदनुसार, यदि किसी निवासी के पास परंपरा से प्रचलित 12 मुद्राओं में से किसी में शेष राशियां रखी हैं तो वे उसे 31 जनवरी 2002 तक यूरो में बदलवा सकते हैं।

यूरो के बारे में अधिक जानकारी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस साइट तक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के 'Other Links' के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों को निर्यात ऋण कृषि निर्यात क्षेत्र

भारत सरकार ने कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (प्रसंस्करण) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ऐसी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन और प्रसंस्करण का समन्वय किया जाना होगा। उत्पादनकर्ता को इकाई के आसपास कृषि संबंधी कार्यों के लिए किसानों के साथ संविदा करना होगा तथा निर्यातकर्ता, निर्यात संबंधी अंतिम उत्पादों के उत्पादन के लिए किसानों के जिस समूह से कच्चे माल के रूप में उनके उत्पाद खरीदेगा, उस समूह को अच्छी गुणवत्ता के बीज, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्त्व, तथा अन्य सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसलिए सरकार ने सुझाव दिया है कि खरीद तथा किसानों को संबंधित सामानों की आपूर्ति के लिए वर्तमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ऐसी प्रसंस्करणकर्ता इकाइयों को पैकिंग ऋण दिया जाए ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध हो सकें और अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों का उगाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। निर्यातकर्ता ऐसे सामान थोक में खरीद/आयात कर सकेंगे जिसके चलते मात्रा में वृद्धि होने के कारण वस्तुएँ सस्ती पड़ेंगी।

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि निर्यातकों द्वारा किसानों को आपूर्ति किए गए सामानों को बैंक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित कच्चा माल समझें और किसानों द्वारा ऐसी फसलें उगाए जाने के लिए उन्हें अपेक्षित सामानों की लागत को पूरा करने के लिए प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों को ऋण/निर्यात ऋण मंजूर करने पर विचार करें ताकि कृषि संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इससे प्रसंस्करणकर्ता इकाइयाँ अपेक्षित सामान थोक में खरीद सकेंगी और पूर्व-निश्चित व्यवस्था के अनुसार किसानों को उनकी आपूर्ति कर सकेंगी।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यातकों ने खरीदी जाने वाली फसलों के लिए किसानों से और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए विदेशी खरीदारों से अपेक्षित समझौता कर रखा है। वित्तीय सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों को कृषि निर्यात क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं का मूल्यांकन करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रय/विक्रय संबंधी व्यवस्थाएँ संभव हैं तथा परियोजनाएँ उपयुक्त अवधि के भीतर कार्यान्वित की जा सकेंगी।

इसके अलावा, निधियों के उद्दिष्ट उपयोग अर्थात निर्यातक/मुख्य प्रसंस्करणकर्ता इकाई द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार, फसलें उगाने के लिए निर्यातकों द्वारा किसानों को सामानों के वितरण पर बैंकों को नज़र रखनी होगी।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रचलित अनुदेशों के अनुसार पोतलदानपूर्व ऋण के समापन के लिए, मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता इकाइयाँ अंतिम उत्पादों का निर्यात कर रही हैं।

वायदा करार

प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गयी है कि वे निर्यातकों तथा आयातकों को विदेशी मुद्रा के ऋणों के लिए, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना वायदा करारों की बुकिंग के लिए अनुमति दे सकते हैं बशर्ते किसी भी समय इस तरह के करारों की बकाया राशि पिछले तीन वर्ष के दौरान निर्यात/आयात पण्यावर्त के औसत के आधार पर निकाली गयी पात्र सीमा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। इसके लिए अधिकतम सीमा 50 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी। यह उधार सुविधा अगली सूचना तक उपलब्ध रहेगी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऍण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित। **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें। इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**